फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)

छोटू बनाम प्रभात

प्रकरण संख्या : 100 /2024 (राजस्व अपील)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
16.01.2024	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05, अगस्त, 2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नव जिले जयपुर (ग्रामीण) का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई। विधानसभा आम चुनाव में व्यस्त होने से दिनांक 07.11.2023 से जनरल पेशी दी जाने से पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। बहस हेतु समय चाहा है। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27.02.2024 को पेश हो। [हस्ताक्षर] जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	नि. छोटू [अंगूठा निशानी]
5/2/24	अपीलार्थी गण द्वारा पत्रावली तलबी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गण उपस्थित है। अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलार्थी गण ने पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने का कथन कर अपील को विड्रो किये जाने का अनुरोध किया है। अपीलार्थीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री महावीर शेरावत ने की है। अतः अपीलार्थीगण को अपील विड्रो किये जाने की अनुमति दी जाती है। अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। [हस्ताक्षर] जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	नि. नाथीदेवी [अंगूठा निशानी] नि. गुलाब [अंगूठा निशानी] ललिता शर्मा गुड्डी शर्मा मदनलाल शर्मा माधोलाल शर्मा कैलाशचन्द्र शर्मा [हस्ताक्षर]

Scanned with OKEN Scanner